समक्ष माननीय मध्य प्रदेश राजस्व मंडल ग्वालियर पीठ भोपाल

पुनरीक्षण याचिका क्र0 /2018

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2018/01162

भागीरथ माली
आयु लगभग 60 साल,
पुत्र स्वर्गीय श्री देवचंद माली,
निवासी- 210 बाग फूटी बावडी,
महामाई का बाग, भोपाल .... पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

अभिभाषक श्री........................
द्वारा आज दिनांक 15/1/2018
को पेश।
15-1-18
कक्ष अधीक्षक

श्री अवध नारायण शर्मा,
आयु लगभग 48 साल,
पुत्र स्वर्गीय श्री आशाराम
निवासी बैरागढ कलां भोपाल .... उत्तरदाता

पुनरीक्षणकर्ता याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक विद्वान राजस्व निरीक्षक वृत्त क्रमांक 4 तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 48/अ-12/2016-17 ग्राम मीरपुर पटवारी हल्का नंबर 34 तहसील हुजूर जिला भोपाल में पारित आदेश दिनांक 12.10.2017, जिसके द्वारा विद्वान राजस्व निरीक्षक महोदय द्वारा विधि विपरीत तरीके से सीमांकन सम्पन्न कराये जाने से व्यथित होकर निम्न ठोस तथ्यों एवं आधारों पर पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है :-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक **पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2018/1162**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-3-2018	आवेदक की ओर से सूचना उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं । तीन बार पुकार लगवाई गई, फिर भी आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । अतः आवेदक की अनुपस्थिति में प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है । अध्यक्ष	